ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Online Discussion **04 December, 2020**

Shri Randeep Singh Surjewala, General Secretary, AICC discussed 'Anti-Farmer Laws & their impact on Indian Lives' at Social Media Platforms, today

एक प्रश्न पर कि जब प्रधान मंत्री जी और भाजपा सरकार ये आश्वासन दे रही है कि किसान बिलों में MSP रहने वाला है, MSP नहीं जाएगा, तो किसान साथी और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और साथ ही सारे जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं, उनमें MSP क्यों नहीं होगा, जैसे दूध है फिर भी MSP नहीं है फिर भी किसानों को दाम मिल रहा है तो MSP का कॉन्सैप्ट क्या है और अगर MSP कहीं नहीं जाने वाला है तो किसान और कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्लेटफार्म से जुड़े सभी देशवासियों का, आम नागरिकों का, किसान भाई-बहनों का और मजदूरों को मैं प्रणाम करता हूं और आज उनका इस विशेष फेसबुक लाइव में स्वागत करता हूं। तीन पहलू आपके सवाल के हैं। आज देश का अन्नदाता कराह रहा है, देश के खेत और खलिहान की आत्मा सड़कों पर है। देश में किसान और जवान, जो दोनों हैं, क्योंकि जवान किसान का बेटा है, दोनों के दोनों आज विचलित हैं, दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और दिल्ली के दरवार से न्याय मांग रहे हैं। पर क्या दिल्ली दरबार, क्या मोदी सरकार किसानों को, मजदूरों को और गरीबों को न्याय दे रही है? सवाल सीधा ये है। आपने दो या तीन पहलू उठाए। एमएसपी क्या है – एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो सरकार निर्धारित करती है। कांग्रेस ने ये प्रणाली शुरु की थी ताकि अन्नदाता किसान को अपनी मेहनत की कीमत मिल सके। इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, फिर किसान आंदोलित क्यों है? आप मुझे एक बात बताईए। आज न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता कैसे है? एग्रीकल्चर कोस्ट प्राईस कमीशन, एमएसपी का निर्धारण कर देता है, गेहूं का अमुक होगा, दाल का ये होगा, धान का ये होगा, इत्यादि-इत्यादि। उसके बाद किसान अपनी उपज ले जाकर मंडी में बेचता है। जिसे हम एपीएमसी कह देते हैं। अनाज मंडी में जब ये फसल बेचते हैं, तो वहाँ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरी सरकारी एजेंसियां उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करती हैं। पर मैं एक बात आपको और बताऊं- आज भी प्राईवेट आदमी किसान की फसल खरीद सकता है। आज भी कोई भी कंपनी आकर किसान की फसल खरीद सकती है। पर ये बाध्य हो जाते हैं, जब वो अनाज मंडी में जाएंगे कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से

कम पर नहीं खरीद पाते और कई बार तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक देकर खरीदना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ सरकार, एफसीआई खरीद रही है, एक तरफ फूड और सिविल सप्लाई विभाग खरीद रहा है और एक तरफ दूसरी एजेंसियां खरीद रही हैं, प्राईवेट के साथ-साथ। इसलिए किसान को उचित मूल्य अनाज मंडी के अंदर मिलता है। जब अनाज मंडियां खत्म हो जाएंगी, जैसा इन तीन काले कानूनों में कहा है, तो किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी कैसे मिलेगा, आप बताईए? देश में 42 हजार अनाज मंडियां हैं करीब, उन अनाज मंडियों में ही एफसीआई खरीद नहीं कर पाती। एग्रीकल्चर सेंसस के मुताबिक देश में 15 करोड़ किसान हैं। जब अनाज मंडी खत्म हो जाएंगी, तो फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या एफसीआई 15 करोड़ किसानों के खेत में जाकर देगी? वो तो असंभव है। क्योंकि एफसीआई तो 42 हजार अनाज मंडियों में भी पूरी खरीद नहीं कर पाती। तो किसान को वो एमएसपी मिलेगा कैसे, देगा कौन और मिलेगा कहाँ? मैं फिर दोहराता हूं, किसान को अगर अनाज मंडी खत्म हो गई तो किसान को एमएसपी मिलेगा कैसे, देगा कौन और मिलेगा कहाँ? इन तीन सवालों का जवाब ना कृषि मंत्री देते, ना प्रधानमंत्री देते। आप दिल्ली में 5 हजार रुपए एमएसपी घोषित कर दीजिएगा, परंतु मुजफ्फरपुर के अंदर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद के अंदर, आप जाकर फतेहगढ़ साहब पंजाब के अंदर या देश के अलग-अलग हिस्सों के अंदर, वहाँ एमएसपी देगा कौन, मिलेगा कैसे और किसान लेगा कैसे? इन बातों का जवाब सरकार नहीं देती और यही किसानों को एतराज है, बाकी सब बातें घुमावदार हैं, ये बिल्कुल सीधा है। अनाज मंडी खत्म हो गई, तो एमएसपी देने का किसान को कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसी से फिर 25 लाख करोड़ का कारोबार, वो अपने पूंजीपति मुट्ठीभर मित्रों को भाजपा देना चाहती है जो किसानो के हित में नहीं है और उनको यही एतराज़ है।

एक अन्य प्रश्न पर कि यह कृषि कानून बिचौलियों को हटाएगा तो किसानों का ही फायदा होगा, तो फिर इन कानूनों का विरोध क्यों? श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि आदरणीय साथी वो बिचौलिए हैं कौन, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अनाज मंडी में बैठे छोटे-छोटे दुकानदार को बिचौलिया कहकर किसान का भी और उस दुकानदार और मजदूर का अपमान कर रही है। मैं एक किसान हूं खुद, मैं भी धान और गेहूं की खेती करता हूं। जब मैं मेरी फसल अनाज मंडी में लेकर जाता हूं, मुझे खुद का उदाहरण देकर बताने दीजिए, तो अनाज मंडी के अंदर रजिस्टर्ड दुकानदार हैं, जिन्हें हम आढ़ती कहते हैं, उत्तर भारत में खड़ी बोली के अंदर। मैं वो फसल उनकी दुकान पर ले जाता हूं। उनकी दुकान के बाहर जो कॉमन फड़ हैं, वहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड और सिविल सप्लाई विभाग, हरियाणा में हैफेड, पंजाब में पनफैड, दूसरे मध्यप्रदेश या उत्तर प्रदेश में दूसरी या राजस्थान में दूसरी सरकारी एजेंसियां वो सब आएंगी, उनको बाकायदा दिन अलोट कर दिया जाएगा कि सोमवार को गेहूं एफसीआई खरीदेगी, मंगलवार को फूड सिविल सप्लाई खरीदेगा, इत्यादि-इत्यादि, पूरे हफ्ते का और जब मैं वहाँ जाऊंगा, तो सबसे पहले उस गेहूं में, धान में या दाल में या कोई भी मेरी फसल है, उसमें अगर थोड़ा बहुत उसके

अंदर मिट्टी, उसके अंदर कोई कूड़ा-कर्कट या थोड़ी बहुत उसके अंदर दूसरा फूंस आ जाता है, तो वहाँ मजदूर हैं। वो मजदूर बाकायदा उसकी झड़ाई करेंगे, उसको साफ करेंगे और उन मजदूरों को पैसा इसी मंडी से मिलेगा। ये सारे अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लोग हैं और वो किसान और वो मिलकर फिर अपनी फसल की ढेरी बनाएंगे। एजेंसी आएंगी, उसे खरीदेंगी। आप मुझे बताईए, जिस दिन अनाज मंडी होंगी ही नहीं, इन आढ़तियों को क्या मिलेगा? इनका कमीशन फिक्सड है कानून में, बाकायदा एपीएमसी एक्ट है। उसके ऊपर 2 प्रतिशत कमीशन मिलता है। ना तो ये कमीशन किसान से लिया जाता, ना वो मजदूर की मजदूरी किसान से ली जाती, वहाँ मुनीम काम कर रहे हैं, ना उनकी मुनीमी किसान से ली जाती, वहाँ मार्केटिंग बोर्ड का कर्मचारी मदद कर रहा है, ये देख रहा है कि कुछ गलत नहीं हो रहा, न उसकी तनख्वाह किसान से ली जाती है। ये खरीद एजेंसिंया देती हैं यानि एफसीआई देगी, फूड सिविल सप्लाई विभाग देगा या प्राईवेट ट्रेडर अगर कोई खरीदने आता है, राइस सेलर का मालिक, कोई आटा मिल चलाने वाला, तो वो पैसा देंगे और कुछ एक ग्रामीण विकास फंड का पैसा भी चार्ज किया जाएगा जो ज्यादातर प्रांतों में 2 से 3 प्रतिशत है और 2 प्रतिशत मार्केट फीस, उस प्रांगण में इस्तेमाल की वो फीस है। तो लगभग इस प्रकार से 6 प्रतिशत पैसा अतिरिक्त किसान की कीमत से खरीदने वाला देगा, किसान नहीं। इससे लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का पेट पलता है। ट्रांसपोर्टर को काम मिलता है, छोटे दुकानदार को काम मिलता है, मुनीम को काम मिलता है, झड़ाई करने वाले मजदूर को काम मिलता है, सफाई करने वाले मजदूर को काम मिलता है, तोलने वाले व्यक्ति को काम मिलता है, किसान को चाय पिलाने वाले, खाना बनाने वाले को काम मिलता है, कर्मचारी को वहाँ काम मिलता है। ये सब लोग चेन से जुड़े हुए हैं। ये बिचौलिए नहीं, बिचौलिए वो होंगे, जब किसान को एमएसपी नहीं मिलेगा, तो किसान के खेत से 1,888 रुपए धान का या चावल का भाव इस समय है, तो वो 1,888 रुपए क्विंटल वाला धान वो किसान के खेत से 1,600 या 1,500 या 1,400 पर खरीद ले जाएंगे। और फिर आप रोहन जी या वो सारे साथी जो जुड़े हैं, जब आप चावल खरीदने जाएंगे बाजार से तो आपको वही चावल 50, 60, 70, 80 रुपए किलो पर मिलेगा। यानि किसान को मिलेगा 14 रुपए किलो और बिचौलिया उसे खरीद कर, चावल निकाल कर बेचेगा 70, 80, या 100 रुपए किलो। आज भी देखिए, किसान को तो 1,888 रुपए क्विंटल मिल रहा है, परंतु जब आप बाजार में जाएंगे लेने, तो आपको क्या 19 रुपए किलो में चावल मिल रहा है? मेरा सवाल ये है, नहीं, आपको आज भी सस्ती से सस्ती क्वालिटी का चावल 40 और 50 रुपए किलो से कम नहीं मिल रहा। किसान ने तो प्याज 9 रुपए किलो में बेचा है, आप तो प्याज 40 रुपए और 50 रुपए किलो में खरीद रहे हैं। ये बिचौलिया है। किसान का आलू तो आपने 3 और 4 रुपए किलो में बिकवा दिया, परंतु आलू तो इस समय 50 और 60 रुपए किलो में बिक रहा है, ये बिचौलियापन है। मोदी सरकार ये सारा धँधा किसान से दुकानदार से, मजदूर से छीन कर मुट्ठीभर बिचौलियों को देना चाहती है, जो मनमाने रेट पर खरीदेंगे किसान से और मनमाने रेट पर खरीदने वाले हिंदुस्तान के उपभोक्ता को बेचेंगे।

On a question that Modi ji has said that farmers can sell their crops anywhere in the country and I think it will bring many opportunities for the farmers. So why to oppose this? Shri Surjewala said- This is the biggest lie, double speak and duplicity of the Modi Government and the BJP only want to help crony capitalist friends and there are two facets to it.

1. As per the agriculture census of 2015-16, the 85% of farmer own less than 2 hectare of land i.e. less than 5 acre. 80% out of these also own less than 2 acre of land, so 2-5 acre is the average national size of land. If I own 2 acre of land, it is difficult for me to go 15 kilometers to the APMC market and transport my crop. How will I transport my rice from Haryana to Hyderabad, that is an impossibility, the farmer simply cannot do it. The middle man, the new middle man, class of middlemen, 4 or 5 crony capitalist friends, who will own silos, who will buy from the farmer at whatever price they deem fit. They will store it in their silos, they will then hire trucks and trains and then they will sell it at an appropriate price by taking 500-2,000-5,000% profit, that is the first facet. So, farmers just not have the capacity to travel and carry his crop. 85% farmer anywhere access to the closest APMC. That's why Congress spoke about raising the number of APMCs or the grain markets.
2. On one side Prime Minister says- One nation, One market. On the other side, Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar Ji says - I will not permit any farmer from outside Haryana to come and sell his Bazra crop in Haryana, I will send them to jail. On the other side Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan yesterday gave a statement that if any farmer enter the territory of Madhya Pradesh, he will send them to jail and confiscate their tracker, trolley or in whatever vehicle they are transporting their crop. So, who is lying? Narendra Modi Ji is lying or his Chief Ministers are completely rubbishing his own laws, that is the question that the county must ponder over.

एक अन्य प्रश्न पर कि मोदी जी ने कहा है कि किसान अपनी फसल देश में कहीं भी बेच सकते हैं। जब ऐसा होगा तब किसानों को नए अवसर मिलेंगे, तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि जो लोग कहते हैं मोदी जी के समय किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, वो झूठ बोल रहे हैं। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू- कृषि सेंसस 2015 – 16 में अगर आप देखें, तो आप पाएंगे कि 85 प्रतिशत देश का किसान दो हैक्टेयर से कम का मालिक है यानि 5 एकड़ भूमि से कम का मालिक और इस 85 प्रतिशत का 80 प्रतिशत केवल 2 एकड़ भूमि का मालिक है या उससे कम। तो वो किसान तो खेत से अपनी फसल मंडी तक ले जाने में सक्षम नहीं। वो किसान हरियाणा या पंजाब से अपना चावल हैदराबाद या फिर चैन्नई जाकर कैसे बेच कर आ सकता है? बेच कर आएंगे मोदी जी के 5 मित्र धन्नासेठ जब सरकार ये फसल नहीं खरीदेगी, वो साईलों में इस फसल को स्टोर करेंगे और मनमर्जी के रेट से उपभोक्ता को बेचेंगे। दूसरा पहलू है- मोदी जी कहते हैं कि अब किसान कहीं भी अपनी फसल देश में बेच सकता है। ये वन नेशन, वन

मार्केट है। पर हरियाणा के भाजपा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि अगर एक किसान भी राजस्थान का बाजरा बेचने हरियाणा आ गया तो उसे जेल भेज देंगे। आप आ नहीं सकते, बोले मैंने बॉर्डर पर पुलिस लगा रखी है। शिवराज सिंह चौहान, जो बीजेपी के मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कल ही उन्होंने कहा कि अगर कोई किसान मध्यप्रदेश से बाहर का कहीं फसल बेचने आ गया, तो वो उसको जेल भी भिजवाएंगे और उसकी टैक्टर, ट्राली कंफिस्टेट कर लेंगे। तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, खट्टर साहब झूठ बोल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी झूठ बोल रहे हैं या फिर ये किसानों को बरगलाने का एक षड़यंत्र है। ये तीनों काले कानून किसान की क्या हालत करेंगे ये इन तीन लोगों के बयान से साफ है।

एक अन्य प्रश्न पर कि आप कह रहे हैं कि इस कृषि कानून से राशन प्रणाली समाप्त हो जाएगी। ऐसा कैसे होगा और अगर ऐसा होगा तो उसमे नुकसान क्या है? श्री सुरजेवाला ने कहा कि बड़ी सीधी बात है ये किसान पर हमला नहीं है मोदी सरकार का, ये काले कानून केवल किसान के खिलाफ नहीं हैं। ये काले कानून इस देश के आम जन-मानस मिडल क्लास लोअर मिडल क्लास, गरीब आदमी, मजदूर, उसके खिलाफ हैं। 62 करोड़ देश में किसान हैं, ये किसान अनुसूचित जाति से भी हैं, पिछड़े वर्गों से भी हैं, सामान्य वर्गों से भी हैं। आप एक बार इन 62 करोड़ को छोड़ दीजिए, जब आप मुझसे गेहूँ खरीदेंगे ही नहीं, जब आप मुझसे धान खरीदेंगे ही नहीं, जब आप मुझसे दाल खरीदेंगे ही नहीं, तो माफ कीजिए, फिर राशन की दुकान पर फूड सिक्योरिटी एक्ट में 82 करोड़ हिंदुस्तानियों को राशन देना बाध्य हैं, अन्नपूर्णा योजनाएं हैं, दूसरी गरीबों के लिए योजनाएं हैं। 30 किलो अनाज आज तो आप 2 रुपए किलो पर मुझे दे देते हैं, परंतु जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अनाज खरीदेगी ही नहीं किसान से, तो फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या प्रान्तीय सरकारें या भारत सरकार राशन की दुकान पर अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों को अनाज देगी कहाँ से, कैसे देगी औऱ जब दे ही नहीं पाएगी तो अपने आप राशन की दुकान खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर तो सस्ते दाम पर खरीद कर सस्ते दाम पर सरकार को देगा नहीं। यहाँ एफसीआई खरीदती है, प्रान्तीय सरकारें खरीदती हैं और राशन की दुकान पर दे देती हैं, तो गरीब का काम भी चलता है, उसके घर का पहिया भी चलता है और किसान की आजीविका भी चलती है। जब किसान मर जाएगा, जब उसकी फसल सरकार नहीं खरीदेगी, तो राशन की दुकान पर ताला लग जाएगा। जब राशन की दुकान पर ताला लग जाएगा और प्राइवेट 5 कंपनियाँ या 6 कंपनियाँ आ जाएंगी धन्ना सेठों की तो वो बाजार में किस रेट पर बेचेंगी, ये तो उनकी मर्जी है। क्या आप रिलायंस फ्रेश का रेट फैसला कर सकते हैं, क्या आप बिग बाजार का रेट फैसला कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वो किसान से खरीदेंगे, 12 और 14 रुपए किलो में गेहूँ और आटा आपको बेचेंगे 80-100 और 150 रुपए किलो में। तो आज जो किसान संघर्ष कर रहा है, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस एतराज कर रही है, वो आम आदमी की लड़ाई है कि किसान से 12 और 14 रुपए किलो मिलेगा और आप 150 रुपए किलो देंगे तो आपका भी बजट बिगड़ जाएगा और किसान की रोटी चली जाएगी और गरीब कहाँ से खरीद पाएगा, ये भी एक सवाल है। ये सारी वास्तविकता है।

एक अन्य प्रश्न पर कि कई लोगों का कहना है कि भाजपा ने जो कृषि कानून पारित किये हैं, उससे बेरोज़गारी बढ़ेगी। क्या यह सही है? इससे बेरोज़गारी कैसे बढ़ सकती है? श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि ये बड़ा सार्थक सवाल है और इसके कई घातक पहलू हैं, रोजगार और रोटी

के लिए। 62 करोड़ किसान हैं, 62 करोड़ किसानों में से जमीन का मालिक किसान 15 करोड़ है। तो 62 करोड़ से 15 करोड़ अगर आप कम करेंग आदरणीय साथी, तो लगभग 47-48 करोड़ किसान या तो बटाईदार है या काश्तकार है या मजदूर है, साफ है। मैं नहीं कह रहा, ये तो कृषि सेंसेस 2015-16 कह रहा है। तो उन 47-48 करोड़ लोगों की रोटी पर सीधा असर पड़ जाएगा, क्योंकि जब मैं जमीन का जो मालिक किसान हूं, जब मुझे ही 1,800, 1,900 रुपए धान की कीमत मिंलने की बजाए 1,750 रुपए मक्के की कीमत मिलने की बजाए, सवा 1,900 रुपए गेहूं की कीमत मिलने की बजाए 1,200, 1,400 रुपए मिलेगी। आप जो मेरे साथ खेत में मजदूर है या आप जो बटाईदार और काश्तकार हैं, आपका पैसा भी कम हो जाएगा। परंतु परिवार तो कम नहीं हुए। परिवारिजनों की संख्या तो कम नहीं हुई। तो अगर एक खेत में 4 मजदूर काम करते हैं तो स्वाभाविक तौर से 4 की बजाए किसान यही कोशिश करेगा कि 2 ही मजदूर काम करें। तो आधे लोगों का रोजगार रोटी बिल्कुल चली जाएगी और आधे लोगों की जो आय है वो 30-40 प्रतिशत कम हो जाएगी। ऐसे में बेरोजगारी का हाहाकार होगा या नहीं? दूसरा, अनाज मंडियों में जैसा मैंने बताया लाखों-करोड़ों लोग काम करते हैं, कोई छोटा दुकानदार है, कोई ट्रांसपोर्टर है, कोई वहां चाय बनाने वाला है, कोई वहाँ खाना बनाने वाला है, कोई झड़ाई करने वाला है मजदूर, कोई सफाई करने वाला मजदूर है, कोई मुनीम है, जो दुकान पर काम करने वाला है, मार्केट कमेटी का कर्मचारी है, अनाज मंडी खत्म होते ही इन लाखों-करोड़ों का रोजगार भी चला जाएगा। तीसरा पहलू, जब 5 धन्ना सेठ 25 लाख करोड़ का खेती का कारोबार खरीद लेंगे और मैं आपको एक बात बताऊं, सिलिकोन वैली अमेरिका में भी 25 लाख करोड़ का कारोबार नहीं है। मोदी जी और बीजेपी वाले ऐसे नहीं कर रहे हैं। वो 25 लाख करोड़ के खेती के कारोबार पर उपज के कारोबार पर कब्जा करना चाहते हैं। जब वो सारा कारोबार बड़े-बड़े रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार और ना जाने क्या-क्या नाम हैं, सब तो हमें पता भी नहीं, तो बड़े-बड़े हर शहर के अंदर ये खुल गए हैं, जब धँधा इनके पास चला जाएगा, तो किरयाना वाला दुकानदार क्या करेगा? छोटी-छोटी जो किरयाना की यहाँ लाखों-करोड़ों दुकानें हैं, एक अनुमान के मुताबिक किरयाना - किरयाना की जो दुकानें हैं, जिन्हें मोम एंड पोप्स स्टोर अंग्रेजी में कहा जाता है, उन्हीं की संख्या 10 करोड़ के करीब हैं। हर आदमी के घर में 3-4 आदमी भी होंगे। तो देखिए 8-10 करोड़ इन लोगों की रोजी-रोटी भी चली जाएगी। ये होगा बेरोजगारी का हाल।

एक अन्य प्रश्न पर कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब आपने कहा था कि कृषि क्षेत्र में सुधार की ज़रूरत है। अब आज अगर भाजपा वो सुधार कर रही है तो क्यों कांग्रेस उसका विरोध कर रही है? श्री सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी रीफॉर्म नहीं कर रही। मंडी व्यवस्था में आज भी कई ख़ामियाँ हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, जो राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं, आज भी मंडी का रेडियस, अनाज मंडी का रेडियस है 35-40 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में तो 50-50, 60-60 किलोमीटर है। किसान अपनी फसल 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर ले जाने में असक्षम होता है कई बार, उसके पास ट्रैक्टर, ट्रॉली नहीं है, फोर व्हीलर नहीं है, पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो राहुल

गांधी जी का ये कहना था कि हर पांच किलोमीटर पर या ग्रुप ऑफ विलेजेस में किसान की फसल की ख़रीद की सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए, क्या वो गलत है, ये रीफॉर्म अच्छा है या बुरा? भई, अगर मैं 40 किलोमीटर के बजाय 5 किलोमीटर पर अपनी फसल बेचकर आ सकूं तो मुझे फायदा है, ये राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का कहना है। इसलिए गलत नहीं है, सही है। भाजपा तीन खेती विरोधी काले कानूनों से किसान को मार रही है और एक बात और बताइए।

लॉकडाउन में पूरा देश बंद था, किसान भी अपने खेत के अंदर बैठा था, जो जैसी फसल होती है, वैसी लगा रहा था, तो लॉकडाउन में रात के अंधेरे में अध्यादेश के माध्यम से ये कानून लाने की मांग रखी किसने थी, मोदी जी? आप चोर दरवाजे से कैबिनेट में लॉकडाउन के दौरान ये कानून क्यों लेकर आए? न तो किसी किसान संगठन ने कहा, न किसी प्रान्तीय सरकार ने कहा, न फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा, न किसानों के किसी समूह ने कहा, केवल पांच धन्ना सेठों ने कहा, लॉकडाउन है, मंदी है, अब 25 लाख करोड़ के खेती कारोबार पर कब्जा करो, तो वो कब्जा करने का सबसे अच्छा तरीका था, खेती पर ही कब्जा कर लो। तो इसलिए मोदी जी से मिलकर वो चोर दरवाजे से कैबिनेट में अध्यादेश के माध्यम से काले कानून लेकर आए और लॉकडाउन का फायदा उठाकर बगैर वोट डलवाए, बगैर संसदीय समिति को भेजे, इन काले कानूनों को पारित करवा दिया गया। ये सीधे-सीधे चोरी और सीना जोरी नहीं तो और क्या है?

Sd/-
(Dr. Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt,
AICC